अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

(दं0 प्र0 सं0 144 के तहत वाद सं0–163/2022)

सुनील सोनार —बनाम्— राम प्रसाद सोनार वगैरह

आदेश

06.08.22 थाना प्रभारी, जमुआ के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने हिस्से के भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा जबरन निर्माण कार्य किये जाने को प्रयासरत रहने का उल्लेख कर द्वितीय पक्ष को वादग्रस्त भूमि पर जाने से प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया एंव पूर्व में वाद सं0–89/2022 कालबाधित होकर एवं समाप्त हो जाने का भी तथ्य प्रस्तुत किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से वादगस्त भूमि को लेकर टाइटिल सूट नं0–23/2017 विचाराधीन रहने का तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर पूर्व में वाद सं0–89/2022 भी दाखिल किये जाने का उल्लेख किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त सक्षम न्यायालय में मामला लंबित रहने की स्थिति में कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
06/08/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

06/08/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.06.13 21:00:24 +05:30
Location: 192.168.1.5

Scanned with CamScanner